

8/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
नरेन्द्रसिंह पुत्र दोगारिंद रामपूत झोमपुय	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 316 / 2021 GCMS No. 2021/1149

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

8/11/2021

वादी श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र दोगारिंद
जाति रामपूत निवासी झोमपुय द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत कनगाव में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2075 ग्राम झोमपुय पटवार मण्डल कुचामनसिटी के खाता नम्बर 86 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि किरानेदार पुत्र दोगारिंद दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र दोगारिंद है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 018080015014 आधार नम्बर 7622 2230 2584 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज PAN Card No. AXPXPR3588B की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिख्त दफतर हो।

1287-1289

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)